उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

राज्यसात वाद संख्या–17/96/57/09
राज्य बनाम कुलदीप प्रसाद

–: आदेश :–

यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 188/दिनांक 10.06.1998 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में जप्त 90 लीटर किरासन तेल एवं हीरो मेजेस्टिक (पेसर) बिना नम्बर का जिसका चेसिस नम्बर 507701 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6A के अन्तर्गत राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया एवं धारा 6B के अन्तर्गत विपक्षी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 04.01.2002 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जप्त 50 लीटर किरासन तेल का बिक्री कराकर बिक्रय मूल्य 701.00 रूपये उपकोषागार में चालान संख्या–10/4 दिनांक 03.01.2002 के द्वारा जमा किया गया है।

विपक्षी दिनांक 30.06.1998 से न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहना इस बात को द्योतक है कि उन्हें मामले में कोई रूचि नहीं है।

अतः उक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में जप्त 50 लीटर किरासन तेल एवं हीरो मेजेस्टिक (पेसर) बिना नम्बर का जिसका चेसिस नम्बर 507701 को राज्यसात किया जाता है।

उक्त विवेचन के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।